न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 13 / 2017

उनवान

श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी।

—: प्रार्थी

बनाम

प्रकाश पिता अमरजी भील निवासी सुन्दनी तहसील गढ़ी ज़िला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 84, 86

आदेश

दिनांकः 5/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीसरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी ने पटवार हल्का सुन्दनी के मौजा सुन्दनी की खाता संख्या 152 के सर्वे नम्बर 2619 रकबा 0.09 हे0 किस्म—ता—2 जो कि श्री धुला पिता रूपा व श्रीमति जेती पत्नि स्व0 श्री रूपा भील के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड भूमि में स्थित आम के एक पेड़ को अप्रार्थी ने बिना अनुमति के कांट दिया हैं तथा लकड़ी मौके पर नही पाई जाकर अप्रार्थी द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उलंघन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के आम का पेड़ कांटे जाने के कम में पटवारी हल्का द्वारा तैया किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि प्रार्थना—पत्र के संलग्न प्रस्तुत करतें हुऐ प्रार्थी को इमदाद दिलाने निवेदन किया।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र, पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया मौका पर्चा/राजस्व अभिलेख की नकल/लकड़ी सुपुर्दगीनामा आदि का अवलोकन किया जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी श्री प्रकाश पिता अमरजी भील निवासी सुन्दनी द्वारा श्री धुला पिता रूपा व श्रीमति जेती पत्नि स्व0 श्री रूपा भील की खातेदारी भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को कांट कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84, 86 का उल्लघंन किया गया है। इस कम में न्यायालय के पत्रांकः 869 दिनांक 24.5.17 एंव स्मरण पत्र कमांकः 1726 दिनांक 01.11.17 द्वारा मौका पर्चा में वर्णित राशि वसूल किये जाकर राज कोष में जमा कराने निर्देशित किया जाने के उपरान्त भी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को श्री धुला पिता रूपा व श्रीमति जेती पत्नि स्व0 श्री रूपा भील की खातेदारी भूमि में स्थित एक आम के पेड़ को कांटने एंव बिना अनुमति के हटाने के फलस्वरूप 100/— रूपयें के दण्ड से दण्डित किया जाता हैं। तथा प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी को आदेशित किया जाता हैं कि जुर्माना राशि की तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी कराते हुऐ मौका पर्चा में वर्णित अनुसार लकड़ी की किमत रू0 20,000/— (अक्षरे रूपये बीस हजार) में सम्बन्धित भू—अभि0 निरीक्षक एंव पटवारी के माध्यम निलामी कराई जाकर जुर्माना एंव लकड़ी निलामी की राशि राज कोष में जमा करातें हुऐ पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible]/2018 को सुनाया गया।